



C. 14
12.50

महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय (संस्कृत) मुंबई
श्री. कर्णिक आदि संस्थान राष्ट्रीय फंड/ 26.11.11 / 22.12.12
260



महाराष्ट्र

[Signature]

SECRETARY

Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
Shivrampur (khurd), Ratanupur, Karakat
Jaunpur (U.P.)

[Handwritten mark]

न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।
 वाद सं० 71 धारा 143 ज० वि० अधि०
 मौजा रतनपुर परगना व तहसील केराकत
 जनता डिग्री कालेज रतनपुर बनाम गॉवसभा

आदेश

प्रस्तुत वाद जनता डिग्री कालेज रतनपुर केराकत जौनपुर द्वारा प्रबन्धक श्री ओंकार सिंह पुत्र झारखण्डे सिंह निवासी शिवरामपुर खुर्द परगना व तहसील केराकत ने गॉवसभा रतनपुर द्वारा प्रधान मौजा रतनपुर व सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर साहब जौनपुर को प्रतिवादी बनाते हुए अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अधि० इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई 75मि०/0012, 77/0-243, 78/1-036, 86/0-372, 89/0-890 स्थित मौजा रतनपुर के हम वादी संकमणीय भूमिधर है। वादी ने अपनी आराजियात मे विद्यालय डिग्री कालेज के रूप में प्रयोग कर रहा है। मौके पर कृषि कार्य नहीं होता है। अन्य अभिकथन करते हुए अन्त में याचना किया है कि उपरोक्त आराजियात को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया है। साथ में खतौनी सन् 1413 से 1418 संलग्न किया है।

तहसील से आख्या प्राप्त की गयी जो दिनांक 21-11-11 को तहसीलदार केराकत द्वारा अग्रसारित करते हुए पत्रावली न्यायालय में उपलब्ध करायी गयी। नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार ग्राम रतनपुर परगना व तहसील केराकत की खतौनी सन् 1413 से 1414फ० के खाता सं० 63 पर जनता डिग्री कालेज के नाम आराजी न० 75मि०/0-012, 77/0-243, 78/1-036, 86/0-372, 89/0-890 कुल 5 गाटा रकबा 2-553 भू० रा० 63-10 संकमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है जिसमें मौके पर जनता डिग्री कालेज रतनपुर का विद्यालय भवन, कैंटीन, फायरिंग रेंज मैदान, विद्यालय का खेल का मैदान बना है जिसमें खेती नहीं होती है। मौके पर चहारदीवारी से घिरा व गेट लगाकर विद्यालय भवन आदि के रूप में प्रयोग की जाती है। जो अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है। साथ में नजरी नक्शा व नियम 135 के अन्तर्गत प्रपत्र भी प्रस्तुत किया है तथा स्थल का प्रमाणित फोटो भी साथ में संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ग्राम रतनपुर परगना व तहसील केराकत में स्थित आराजियात उपरोक्त पर जनता डिग्री कालेज का नाम अंकित है। जिसमें विद्यालय भवन व खेल का मैदान आदि दर्शाया गया है जिसमें कृषि कार्य नहीं होता है। इसप्रकार उपरोक्त आराजियात अकृषिक घोषित किये जाने कोई विधिक अडचन नहीं है। तहसीलदार केराकत की आख्या 21-11-11 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार केराकत की आख्या दिनांक 21-11-11 स्वीकार करते हुए ग्राम रतनपुर परगना व तहसील केराकत की आराजी सं० 75मि०/0-012, 77/0-243, 78/0-036, 86/0-372, 89/0-890 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुतादिक परता मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद अनुपालन पत्रावली संघित अभिलेखागार हो।

(राजेन्द्र कुमार)
 उप जिलाधिकारी,
 केराकत।

6571
 23/11/12
 1820
 26/11/12
 [Signature]

[Signature]
 26/11/12

[Signature]
 SECRETARY
 Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
 Shivrampur (Khurd), Ratanupur, Kerakot
 Jaunpur (U.P.)

ग्राम पंचायत—रतनूपुर

वि०ख०—केराकत, जनपद—जौनपुर

कमलेश यादव
प्रधान



निवास—
ग्राम—पटईल
पोस्ट—रतनूपुर
केराकत, जौनपुर
मो०—9839562626

पत्रांक

दिनांक...18.05.2021

भूमि व भवन का स्वामित्व प्रमाण—पत्र

(Occupancy Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि चन्द्रावती देवी झारखण्डे सिंह स्मृति ट्रस्ट ग्राम—शिवरामपुर खुर्द, पोस्ट—रतनूपुर, तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर उ०प्र० के गाटा संख्या—89 रकबा 02 एकड़ भूमि पर जनता कॉलेज ऑफ फार्मसी रतनूपुर, केराकत, जौनपुर उ०प्र० हेतु भूमि एवं भवन पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। उक्त भूमि एवं भवन ऋण मुक्त है। उपनिबंधक केराकत जौनपुर द्वारा भार मुक्त प्रमाण—पत्र निर्गत है। जिस पर चन्द्रावती देवी झारखण्डे सिंह स्मृति ट्रस्ट ग्राम—शिवरामपुर खुर्द, पोस्ट—रतनूपुर, तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर उ०प्र० का पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार है।

अतः इस भूमि का उपभोग जनता कॉलेज ऑफ फार्मसी रतनूपुर, केराकत, जौनपुर उ०प्र० द्वारा किया जायेगा एवं भविष्य में भी इस भवन का स्वामित्व जनता कॉलेज ऑफ फार्मसी रतनूपुर, केराकत, जौनपुर उ०प्र० का ही होगा।

कमलेश यादव

प्रधान
ग्राम पंचायत रतनूपुर
क्षेत्र पंचायत केराकत
जौनपुर



CHANDRAWATI DEVI JHARKHANDE SINGH SMRITI TRUST

SHIVRAMPUR KHURD RATANUPUR KERAKAT JAUNPUR (U.P.)

PIN CODE-222181



9721653232

LETTER NUMBER

DATE...18...05...2021

भूमि व भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

(Occupancy Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि चन्द्रावती देवी झारखण्डे सिंह स्मृति ट्रस्ट ग्राम-शिवरामपुर खुर्द, पोस्ट-रतनपुर, तहसील-केराकत, जिला-जौनपुर उ०प्र० के गाटा संख्या-89 रकबा 02 एकड़ भूमि पर जनता कॉलेज ऑफ फार्मसी रतनपुर, केराकत, जौनपुर उ०प्र० हेतु भूमि एवं भवन पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। उक्त भूमि एवं भवन ऋण मुक्त है। उपनिबंधक केराकत जौनपुर द्वारा भार मुक्त प्रमाण-पत्र निर्गत है। जिस पर चन्द्रावती देवी झारखण्डे सिंह स्मृति ट्रस्ट ग्राम-शिवरामपुर खुर्द, पोस्ट-रतनपुर, तहसील-केराकत, जिला-जौनपुर उ०प्र० का पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार है।

अतः इस भूमि का उपभोग जनता कॉलेज ऑफ फार्मसी रतनपुर, केराकत, जौनपुर उ०प्र० द्वारा किया जायेगा एवं भविष्य में भी इस भवन का स्वामित्व जनता कॉलेज ऑफ फार्मसी रतनपुर, केराकत, जौनपुर उ०प्र० का ही होगा।

SECRETARY

Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
Shivrampur (Khurd), Ratanupur, Kerakat
Jaunpur (U.P.)